

7/06/25

पडावली पैरा ईडी आधिकारिक पत्रकारिता 3.
 वादी के द्वारा साक्ष्य पैरा नहीं.
 अवसर चाहा है, वादीगण को
 साक्ष्य पैरा करने हेतु अतिरिक्त
 अवसर दिया जा रहा है। वादीगण
 पैरा गरीब पर साक्ष्य पैरा
 नहीं होने पर वाद कदम पालना
 में खारीफ किया जावेगा।
 पडावली वाले वादी साक्ष्य गरीब
 को पैरा करे

28/09/2025

(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.), वाड़मेर

19/05

बकुलाय फरीकन उपम पीठासीन
 अधिकारी दिग्ग प्रचारसामिक मय
 में व्यस्त हैं मिसाल इत्यादि हो
 दिनांक 26/11/25 को परा हो

5/11/25

पडावली पैरा ईडी आधिकारिक पत्रकारिता
 उपास्थित। वादी के द्वारा
 साक्ष्य पैरा नहीं, वादीगण को
 साक्ष्य पैरा करने हेतु अतिरिक्त अवसर
 दिए गए हैं, वादीगण द्वारा न्यायालय
 के आदेश की पालना नहीं की
 जा रही है।
 अब वादीगण का वाद आदेश 09
 नियम 05 CPC 151 के तहत कदम
 पालना में खारीफ किया जा रहा है।
 पडावली के मय मुफ्त बैरर दाखिल
 करे।

(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.), वाड़मेर